


राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
क्रमांक:-एस्टे/डीईएस/पीएफ/80/260/2055 दिनांक:-23 मार्च 2018

कार्यालय आदेश

यत श्री रामचन्द्र सिंह पुत्र श्री बैंगाराम, सांख्यिकी निरीक्षक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पाली को माननीय विशेष न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली के निर्णय दिनांक 27.02.2017 द्वारा श्री सिंह को उस पर दोष सिद्ध अपराध के लिए धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर 02 (दो) वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपये 5000/- (अक्षरे पाँच हजार रुपये) अर्थ दण्ड से दंडित किया गया है। अदम अदायगी अर्थदंड अभियुक्त 03 (तीन माह) का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। तथा धारा 13 (1)(डी)सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने पर 03 (तीन) वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपये 10000/- (अक्षरे दस हजार रुपये) अर्थ दण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा के आपराधिक आरोप पर सिद्धदोष ठहराया गया है।

और यत यह माना गया है कि उक्त श्री रामचन्द्र सिंह, सांख्यिकी निरीक्षक का वह आचरण जिसके कारण उसे सिद्धदोष ठहराया गया है, ऐसा है कि उसे लोक सेवा में और आगे रखना अवांछनीय होगा।


अतः अब राज्यपाल/अद्योहस्ताक्षरकर्ता उक्त श्री रामचन्द्र सिंह, सांख्यिकी निरीक्षक को इनके द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के तहत दिनांक 23 मार्च 2018 से पदच्युत करते / सेवा से हटाते हैं।


अनुशासनिक प्राधिकारी एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एस्टे/डीईएस/पीएफ/80/260/2056-63 दिनांक:-23 मार्च 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0जयपुर को उनके पत्रांक 1721-22 दिनांक 16.06.2017 के क्रम में।
4. उप निदेशक अभियोजन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), पाली, राजस्थान।
6. सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, पाली को मय अतिरिक्त प्रति के प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री रामचन्द्र सिंह को उक्त आदेश तामील करवाकर निदेशालय को सूचित करें।
7. श्री रामचन्द्र सिंह पुत्र श्री बैंगाराम, सांख्यिकी निरीक्षक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), पाली, राजस्थान।
8. श्री रामचन्द्र सिंह पुत्र श्री बैंगाराम, ई-432, रिको कॉलोनी, आबूरोड, सिरोही, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)